>

Title: Need to provide compensation to farmers whose land was acquired near Bakhira lake in Sant Kabir Nagar District, Uttar Pradesh.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): दिनांक 29.8.2013 को लोक सभा में यू.पी.ए. की अति महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण (अर्जन) पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 पारित हुआ है । उधर सरकार ने बखीरा झील, जो जनपद संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश में है, के ईर्द-गिर्द किसानों की सैंकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण (अर्जन) बखीरा झील के विकास एवं सौंदर्यीकरण के संदर्भ में आज से 20 साल पहले किया था । परंतु इन गरीब किसानों की जमीनों का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया तथा इनका पुनर्वास भी नहीं किया गया जिसके कारण ये गरीब किसान भुखमरी के कगार पर हैं तथा बीसों साल से सरकारी दफ्तरों का चक्कर मुआवजे के लिए लगा रहे हैं । सरकार से मेरा आग्रह है कि इन गरीब किसानों को अविलंब मुआवजा दिया जाये तथा इनका पुनर्वासन का कार्य अतिशीघ्र किया जाये ।